डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1.	नन्हीबानो	पुत्रियां असनाद जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर
2.	हुसैन बानो	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान— वादीगण

बनाम

1.	अलीमुद्दीन पुत्र कदीरा	जाति सभी मुसलमान निवासी कुतकपुर
2.	कमाल पुत्र फजलू	
3.	बखत्यार पुत्र मंजू	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4.	रशीद पुत्र मंजू	———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0 19/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.02.2026 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 17/2/26

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 77/2017 तारीख रजू:–28.06.2017

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	नन्हीबानो	पुत्रियां असनाद जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर
2.	हुसैन बानो	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान— वादीगण

बनाम

1.	अलीमुद्दीन पुत्र कदीरा	जाति सभी मुसलमान निवासी कुतकपुर
2.	कमाल पुत्र फजलू	
3.	बखत्यार पुत्र मंजू	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4.	रशीद पुत्र मंजू	———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :– 17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादपत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिससे अन्य किसी का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 11.06. 2017 को वादीगण अपने बच्चो के साथ आराजीयात को अगली फसल बाबत तैयार कर रही थी, प्रतिवादीगण मौके पर आये और आते ही कहने लगे कि तुम

इन जमीनो की रजिस्ट्री हमारे नाम करवा वो हमारे पास काश्त की कम जमीनें है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपनी पुश्तैनी आराजीयात को बेचने से मना कर दिया। जिस पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये, और कहने लगे, कि अब तुम्हें हम इन जमीनो से बेदखली करके ही दम लेगे। हम इन पर डन्ड़े के बल पर कब्जा करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये, तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना संभव नही हो सकेगी। इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 11.06.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजीयात पर जबरन डन्डे के बल पर कब्जा करने की धमकी देने से वमुकाम ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बिनाय मुखास्मत एवं निवास फरीकेन की दृष्टि से उक्त वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित कोर्ट फीस पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 7 क में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन से वादीगण को बेदखल नहीं करें, स्वयं कब्जा नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करें। रिकोर्ड व मोके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद पत्र के मद नं. 7 ख में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो न्यायोचित बहक वादीगण हो वह भी अता फरमाई जाये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 08.03.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सम्बत 2071–74 पेश की है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सम्बत 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्हीवानो हुसैनवानो पुत्रियॉ असनाद जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की होना साबित नहीं है जबकि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करने एवं वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली